<u>न्यायालयः– अपर सेशन न्यायाधीश, रावतसर, जिला–हनुमानगढ़</u>

पीठासीन अधिकारी – : **राजन खत्री,**
R.J.S.(DJ Cadre)
सेशन प्रकरण C.I.S. संख्या – : 39/2023(57/19)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – : 280/2019
पुलिस थाना – : रावतसर, जिला हनुमानगढ़

राजस्थान राज्य

––अभियोगी

बनाम

1– सुरेन्द्र कुमार उर्फ गोगा पुत्र बनवारीलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 3 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर।
2– सुरेन्द्र उर्फ जूना उर्फ नरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 18 रावतसर, जिला हनुमानगढ़।
3– मोहनलाल पुत्र कालूराम, उम्र 51 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 18 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर।
4– संजय उर्फ सेठी पुत्र मोहनलाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 18 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर।
5– शिवा पुत्र दारासिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 2 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर।
6– साबीर उर्फ साबू पुत्र ओकार खां, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 2 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर (**मफरूर**)

––अभियुक्तगण

<u>अपराध अंतर्गत धारा 148,452, 341, 323/149, 325/149, 308/149, 427, भारतीय दंड संहिता</u>

उपस्थितिः–

01. श्री उमेश शर्मा, अपर लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।
02. श्री पवन पारीक, अधिवक्ता – अभियुक्त सं. 1 की ओर से।
03. श्री उमाशंकर शर्मा व श्री महीपाल वर्मा, अधिवक्ता– अभियुक्त सं. 2 की ओर से।
04. श्री सुनील धारीवाल, अधिवक्ता – अभियुक्त सं. 3 की ओर से।
05. श्री गोपाल सोनी, अधिवक्ता – अभियुक्तगण सं. 4 व 5 की ओर से।

<u>–: निर्णयः–</u>

<u>दिनांकः– 02.05.2026</u>

01. इस प्रकरण में अभियुक्त साबीर उर्फ साबू पुत्र ओकार खां, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 2 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर को मफरूर घोषित किए जाने से उसके विरूद्ध विचारण शेष रहा है। अतः इस निर्णय के जरिए अभियुक्तगण सुरेन्द्र कुमार उर्फ गोगा, सुरेन्द्र उर्फ जुना उर्फ नरेन्द्र कुमार, मोहनलाल, संजय उर्फ सेठी व शिवा के विरूद्ध प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

02. इस प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.7.2019 के वक्त 3:30 पी. एम. पर सोमी पुत्र अकबर ने थानाधिकारी पुलिस थाना रावतसर के समक्ष एक लिखित प्रार्थना इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का भाई मलकीत व मामा सुभाष, वार्ड नं0 18 रावतसर में रहते हैं तथा वार्ड नं. 18 में ही अपने घर के पास प्रार्थी का मामा सुभाष किरयाना की दुकान करता है। दिनांक 11.07.2019 रात्री के 8:00 बजे प्रार्थी की दुकान पर मोहनलाल बेटर पिता का नाम नामालूम उधार बीड़ी लेने आया तो सुभाष ने उधार बीड़ी देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर मोहनलाल ने सुभाष के साथ गाली–गलौच करते हुए सुभाष को जान से मारने की धमकी देकर चला गया और उसके बाद रात्री समय 12:00 बजे अभियुक्तगण मोहनलाल, सेठी, सेठी की पत्नी, सुरेन्द्र उर्फ गोगा, शिवला, जूनू, साबू व कालूराम आए व प्रार्थी के खोखे को तोड़कर भाग गये। उसके बाद रात्री समय 1:00 बजे के लगभग उपरोक्त अभियुक्तगण व 10–15 अन्य व्यक्ति प्रार्थी के मामा सुभाष के घर में घुस गये व सुभाष को घसीटकर बाहर ले आये व सुभाष के साथ मारपीट करते हुए घसीटकर मलकीत के घर तक ले गये। शोर–शराबा सुनकर मलकीत घर से बाहर निकला तो मलकीत पर भी जानलेवा हमला कर दिया। अभियुक्तगण के पास गंडासी, कापा व पिस्तौल थे। अभियुक्तगण ने लाठियों से वार कर सुभाष के दोनों हाथ तोड़ दिये व मुह पर सेठी की पत्नी ने इन्टों से वार किया। सेठी, साबू, सुरेन्द्र, जुनु व शिवला ने सुभाष व मलकीत के सिर में कापा मारा। जब सुभाष की पत्नी भी बीच–बचाव करने आई तो मोहनलाल ने रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी की इनको तो उन्होंने मार दिया, अब अगर वह उनके खिलाफ पुलिस थाने में कार्यवाही करेगी तो इसी रिवॉलबर से उसे भी मार देगे और सुभाष व मलकीत को मरा हुआ समझकर सभी अभियुक्तगण वहां से मलकीत के घर के आगे खड़ी गाड़ी को तोड़कर फरार हो गए। .... इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, रावतसर में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 280/2019 दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 308, 323, 325, 341, 427, 452, 147, 148, 149, भारतीय दंड संहिता में न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण साबीर उर्फ साबू, सुरेन्द्र कुमार उर्फ गोगा, सुरेन्द्र उर्फ जुना उर्फ नरेन्द्र कुमार, मोहनलाल, संजय उर्फ सेठी व शिवा के विरूद्ध उक्त धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण अपर सेशन न्यायाधीश, सं. 1 नोहर, जिला हनुमानगढ़ में कमिट किया गया। जहां से यह प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, हनुमानगढ़ के आदेशानुसार प्रकरण विधि अनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण सुरेन्द्र कुमार उर्फ गोगा, सुरेन्द्र उर्फ जुना उर्फ नरेन्द्र कुमार, मोहनलाल, संजय उर्फ सेठी व शिवा को अपराध अन्तर्गत धारा 308/149, 323/149, 325/149, 341, 427, 452, 148, भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिस पर अभियुक्तगण ने अपराध से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान् को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया:–

गवाह संख्या	**गवाह का नाम**
पी. डब्ल्यू. 1	शकुतला
पी. डब्ल्यू. 2	अकबर पुत्र पूर्णराम
पी. डब्ल्यू. 3	जसवंत सिंह
पी. डब्ल्यू. 4	चेतन प्रकाश
पी. डब्ल्यू. 5	सोमिल
पी. डब्ल्यू. 6	मलकीत
पी. डब्ल्यू. 7	अरूण चौधरी
पी. डब्ल्यू. 8	राकेश
पी. डब्ल्यू. 9	ओमप्रकाश
पी. डब्ल्यू. 10	डॉ. धनपत छिम्पा

05. **दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गए :–**

प्रदर्श दस्तावेजात	**नाम दस्तावेज**
प्रदर्श पी.– 1 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श पी.– 2	फर्द बरामदगी एक लाठी वाला कस्सी का डंडा जेर हिरासत अभियुक्त सुरेन्द्र
प्रदर्श पी.– 3	फर्द बरामदगी एक लकड़ी की लाठी जेर हिरासत अभियुक्त सेठी उर्फ संजय
प्रदर्श पी.– 4	फर्द बरामदगी एक लकड़ी की लाठी जेर हिरासत अभियुक्त साबिर उर्फ बाबू
प्रदर्श पी.– 5 व 5 ए	नक्शामौका घटनास्थल व हालात मौका
प्रदर्श पी.– 6 व 7	रोजनामचा की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श पी.– 8	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी.– 9	प्रथम सूचना रिपोर्ट
प्रदर्श पी.– 10 व 10 ए	नक्शामौका घटनास्थल गली आम व हालात मौका
प्रदर्श पी.– 11	फर्द निरीक्षण एवं सुपुर्दगी स्वीफ्ट कार
प्रदर्श पी.– 12	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त साबीर उर्फ साबू
प्रदर्श पी.– 13	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार

	उर्फ गोगा
प्रदर्श पी.– 14	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार
प्रदर्श पी.– 15	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त मोहनलाल
प्रदर्श पी.– 16	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त संजय उर्फ सेठी
प्रदर्श पी.– 17	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त शिवा
प्रदर्श पी.– 18	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ जुना उर्फ नरेन्द्र
प्रदर्श पी.– 19	फर्द ईत्तला अभियुक्त संजय उर्फ सेठी
प्रदर्श पी.– 20	फर्द ईत्तला अभियुक्त साबीर उर्फ साबू
प्रदर्श पी.– 21 ता 29	कार व मजरूब सुभाष के चोटों के फोटोग्राफ्स
प्रदर्श पी.– 30	चोट प्रतिवेदन मलकीत
प्रदर्श पी.– 31	एक्सरा रिपोर्ट मलकीत
प्रदर्श पी.– 32	एक्सरा कवर नोट
प्रदर्श पी.– 35	चोट प्रतिवेदन सुभाषचन्द्र
प्रदर्श पी.– 33 व 34	एक्सरे प्लेट
प्रदर्श पी.– 35	आहत सुभाष का चोट प्रतिवेदन
प्रदर्श पी.– 36	एक्सरे रिपोर्ट
प्रदर्श पी.– 37	एक्सरे कवर नोट
प्रदर्श पी.– 38 ता 42	एक्सरे प्लेट

06. अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

07. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया व मनन किया गया।

08. प्रकरण के निस्तारण के लिए विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है:–

> **''आया अभियुक्तगण सुरेन्द्र कुमार उर्फ गोगा, सुरेन्द्र उर्फ जुना उर्फ नरेन्द्र कुमार, मोहनलाल, संजय उर्फ सेठी, शिवा व अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 11.07.2019 को रात्रि में किसी समय वार्ड नं. 18 रावतसर में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, उसके सामान्य उद्धेश्य के अग्रसरण में घातक हथियारों से सुसज्जित होकर आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित किया,**

अभियुक्तगण द्वारा आहत सुभाष के रिहायशी मकान में उसके साथ मारपीट करने की पूर्व तैयारी के साथ प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कर सुभाष व मलकीत को वांछित दिशा में जाने से साशय निवारित कर, उन्हें स्वेच्छया कुन्दालय से साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की गई, उनके द्वारा ऐसी परिस्थितियों में एवं ऐसे आशय या ज्ञान के साथ कार्य किया गया, जिससे यदि सुभाष या मलकीत की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव–वध के अपराध के दोषी होते तथा उनके द्वारा परिवादी का खोखा व मलकीत के वाहन को तोड़कर रिष्टि कारित की गई?

यदि हां तो दण्ड? ''

09. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार है:–

10. आहत सुभाष की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की जा सकी है।

11. प्रकरण में अन्य आहत/गवाह पी.डब्ल्यू. 6 मलकीत सिंह अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि दिनांक 12.07.2019 को रात्रि के 11:00–11:30 बजे के लगभग वह अपने घर पर सो रहा था। तब उसने घर के बाहर से शोर–शराबा सुना, जिस पर उसने बाहर आकर देखा कि अभियुक्तगण साबिर उर्फ साबू, सुरेन्द्र उर्फ गोगा, सुरेन्द्र उर्फ जूना, मोहनलाल, संजय उर्फ सेठी व शिवा उसके मामा (सुभाष) के साथ मारपीट कर रहे थे। उसके अनुसार अभियुक्तगण के पास विभिन्न तरह के हथियार थे। उसके द्वारा अपने मामा का बीच–बचाव कराने पर अभियुक्तगण साबू, शिवा व मोहनलाल ने उसके सिर पर चोट मारी व उसके साथ भी मारपीट की। अभियुक्तगण ने उसके घर के बाहर रखी गाड़ी को भी तोड़ दिया था। तब उसके पिता अकबर व सौमी मौके पर आए थे। घटना में उसके मामा के दोनों हाथ, पैर तोड़ दिए थे। विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में यह गवाह जाहिर करता है कि अभियुक्तगण सुभाष को घर से गली में लेकर आए थे तथा शोर–शराबा सुनकर पहले वह मौके पर आया था, फिर उसके पिताजी व भाई आए थे। वह इस सुझाव को स्पष्टतः गलत बताता है कि अंधेरे में किसी व्यक्ति की स्पष्ट पहचान नहीं हुई हो तथा उसके अनुसार वह अभियुक्तगण को पहले से जानता था।

12. इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना में सभी छहों अभियुक्त शामिल रहे थे तथा वह उनको पहले से जानता था। साथ ही रात्रि के बावजूद भी वह उनको पहचानने में कामयाब रहा था। उसकी साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा पहले उसके मामा सुभाष को घर से निकालकर उसके साथ मारपीट की गई थी तथा उसके द्वारा बीच–बचाव किए जाने पर उसके साथ भी मारपीट की गई थी। मारपीट से उसके मामा सुभाष के दोनों हाथों–पैरों पर चोट कारित हुई थी तथा उसके सिर में चोट मारी थी। उसकी साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि अभियुक्तगण ने उसके घर के बाहर खड़ी गाड़ी को भी तोड़ दिया था। इन तथ्यों के संबंध में यह गवाह अपने से की गई जिरह में किसी भी प्रकार से संदेहास्पद नहीं हुआ है।

13. गवाहान पी.डब्ल्यू. 5 सोमिल एवं पी.डब्ल्यू. 8 राकेश अपनी साक्ष्य में घटना में अभियुक्तगण सुरेन्द्र उर्फ गोगा, सुरेन्द्र उर्फ जूना, मोहनलाल व संजय उर्फ सेठी सहित अन्य लोगों का शामिल होना कथन करते हैं। इन दोनों गवाहान के अनुसार उनके द्वारा नामित अभियुक्तगण एवं अन्य लोग पहले सुभाष के साथ मारपीट कर रहे थे तथा मलकीत द्वारा बीच–बचाव हेतु जाने पर उसके साथ भी मारपीट की गई थी। गवाह पी.डब्ल्यू. 5 सोमिल के अनुसार भी मारपीट से उसके मामा सुभाष के हाथों, पैरों व सिर पर चोट आई थी तथा मलकीत के भी सिर पर चोट मारी गई थी। गवाह पी.डब्ल्यू. 5 सोमिल अपनी जिरह में जाहिर करता है कि लड़ाई झगड़ा होने के दौरान वह घटनास्थल पर गया था, तब अभियुक्तगण वहीं थे। वह इस सुझाव को गलत बताता है कि वक्त घटना अंधेरा होने के कारण उसने कुछ नहीं देखा हो या उसने यह नहीं देखा हो कि किसने किसके साथ मारपीट की थी। गवाह पी.डब्ल्यू. 8 राकेश अपनी जिरह में इस बात पर जोर देता है कि उसने स्वयं अभियुक्तगण को देखा था। वह इस सुझाव को गलत बताता है कि उसने घटना नहीं देखी हो या उसने यह नहीं देखा हो कि कौन किसके साथ मारपीट कर रहा था।

14. अतः इन दोनों गवाहान की साक्ष्य से स्पष्ट है कि उन दोनों ही के द्वारा घटना देखी गई थी तब उन्होंने देखा था कि किसने किस व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। इस तरह इन गवाहान की साक्ष्य से आहत मलकीत की साक्ष्य की इस हद तक पुष्टि होती है कि घटना में सुभाष तथा मलकीत के साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुँचाई गई थी। आहत सुभाष के हाथ, पैरों व सिर पर तथा आहत मलकीत के सिर पर चोट कारित की गई थी। इन दोनों गवाहान की साक्ष्य से घटना में अभियुक्तगण सुरेन्द्र उर्फ गोगा, सुरेन्द्र उर्फ जूना, मोहनलाल व संजय उर्फ सेठी की संलिप्तता का तथ्य भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है।

15. जहाँ तक कि दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त शिवा का यह तर्क रहा है कि ये दोनों गवाहान पी.डब्ल्यू. 5 सोमिल व पी.डब्ल्यू. 8 राकेश अपनी साक्ष्य में यह कथन नहीं करते हैं कि घटना में अभियुक्त शिवा शामिल रहा हो। इससे घटना में शिवा के शामिल होने का तथ्य संदेहास्पद हो जाने के कारण वह दोषमुक्त घोषित किए जाने का हकदार है। तो इस संबंध में न्यायालय का मत है कि उक्त दोनों गवाहान अपने सशपथ बयान में अपने द्वारा नामित अभियुक्तगण के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का शामिल रहा होना स्पष्टतः कथन करते हैं तथा उनकी साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि घटना में अभियुक्त शिवा शामिल न रहा हो। इन दोनों गवाहान से जिरह के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त शिवा द्वारा उनको यह सुझाव नहीं दिया गया है कि अभियुक्त शिवा घटना कारित करने बाबत् लोगों में शामिल न रहा हो। ऐसे में इन गवाहान द्वारा अपनी साक्ष्य में नामित नहीं किए जाने के बावजूद भी, इस बाबत् आहत/गवाह पी.डब्ल्यू. 6 मलकीत की साक्ष्य प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होती है कि घटना में अभियुक्त शिवा भी शामिल रहा था। विशेषकर उस स्थिति में जबकि इस तथ्य के बाबत् गवाह पी.डब्ल्यू. 6 मलकीत अपने से की गई जिरह में किसी भी प्रकार से संदेहास्पद नहीं हुआ है कि घटना में अभियुक्त शिवा भी शामिल था। अतः इस तर्क से अभियुक्त शिवा को कोई मदद नहीं मिलती है।

16. यद्यपि गवाह पी.डब्ल्यू. 1 शकुन्तला अपनी जिरह में स्पष्टतः कथन करती है कि वह आरोपीगण को पहले से नहीं जानती है और आहत सुभाष को संभालने में व्यस्त होने के कारण उसने आरोपीगण को नहीं देखा था, किन्तु उसकी साक्ष्य से घटना कारित करने वाले व्यक्तियों का हथियारबद्ध होकर उसके घर में घुसना, उसके पति सुभाष को घसीटकर बाहर ले जाया जाना, उसके साथ मारपीट कर उसका हाथ, सिर व पैर तोड़ दिया जाना, मलकीत के आने पर उसके साथ मारपीट करके उसके भी सिर पर चोट कारित किया जाना तथा मलकीत की कार तोड़ा जाना अवश्य साबित होता है।

17. अतः इन गवाहान की साक्ष्य के संयुक्त अवलोकन से अभियुक्तगण समस्त द्वारा हथियारबद्ध होकर आहत सुभाष के घर में घुसना, उसे घसीटकर बाहर लाया जाना, उसके साथ मारपीट कर उसके हाथ–पैरों व सिर पर चोट पहुँचाया जाना, मलकीत द्वारा बीच–बचाव किए जाने पर उसके भी सिर पर चोट कारित किया जाना तथा मलकीत की बाहर खड़ी कार को तोड़ दिया जाना साबित होता है।

18. पत्रावली पर उपलब्ध आहतगण सुभाष व मलकीत के चोट प्रतिवेदनों, उनकी चोटों की एक्सरे प्लेटों, एक्सरे रिपोर्टों तथा उनकी चोटों का

चिकित्सकीय निरीक्षण करने वाले चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू. 10 डॉ. धनपत छिम्पा की साक्ष्य के संयुक्त अवलोकन से प्रकट होता है कि वक्त निरीक्षण आहत मलकीत के सिर व बाएं हाथ की इण्डेक्स फिंगर पर कुंदालय से कारित साधारण प्रकृति की चोटें पाई गई थी। वक्त निरीक्षण आहत सुभाष के सिर, ढोठी, चेहरे, दोनों हाथों व बायें पैर कुंद–आलय से कारित चोटें पाई गई थी, जिनमें से आहत के हाथों व बाएं पैर पर कारित चोटें गंभीर प्रकृति की पाई गई थी। आहतगण के चोट प्रतिवेदनों में अंकित कारित चोटों की अवधि से भी यह प्रकट होता है कि आहतगण को कारित चोटें तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 8 में कारित घटना की अवधि में ही कारित हुई होगी।

19. दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का एक तर्क यह भी रहा है कि अभियोजन की ओर से किसी रेडियोलॉजिस्ट को बतौर साक्षी परीक्षित नहीं करवाया गया है। ऐसे में यह साबित नहीं माना जा सकता है कि आहत सुभाष को गंभीर उपहति कारित हुई हो। तो इसके संबंध में न्यायालय का मत है कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है, जिससे यह प्रकट हो कि आहत सुभाष का एक्सरे किसी रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया गया हो एवं इसके अतिरिक्त आहत सुभाष को जिन अंगों में गंभीर उपहतियां कारित हुई है, उनमें अस्थिभंग का निष्कर्ष निकालने हेतु इस क्षेत्र में कोई विशेष अध्ययन होना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है, एक चिकित्सक भी इस बाबत् अपनी राय सही तरीके से आसानी से दे सकता है। अतः केवल मात्र रेडियोलॉजिस्ट के परीक्षित नहीं कराए जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आहत सुभाष को गंभीर उपहतियां कारित नहीं हुई हो। अतः इस तर्क से अभियुक्तगण को कोई मदद नहीं मिलती है।

20. मलकीत की कार को अभियुक्तगण द्वारा तोड़ दिए जाने के तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध उसकी कार के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 21 से प्रदर्श पी. 23 से भी होती है। अभियुक्तगण की ओर से इस तथ्य को प्रश्नगत नहीं किया गया है कि ये फोटोग्राफ्स मलकीत की कार के हैं और न ही इन फोटोग्राफ्स की genuineness को ही प्रश्नगत दिया गया है। ऐसे में मलकीत की कार को अभियुक्तगण द्वारा तोड़कर रिष्टि कारित किया जाना तथा उससे मलकीत को 50 रूपये से अधिक की हानि पहुँचना साबित है।

21. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी/गवाह पी.डब्ल्यू. 9 ओमप्रकाश के अनुसार उसने अभियुक्तगण को प्रकरण में जरिए फर्द गिरफ्तारियों के गिरफ्तार किया था। उसके अनुसार अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ जूना दी गई सूचना प्रदर्श पी. 18, अभियुक्त संजय उर्फ सेठी द्वारा दी गई सूचना प्रदर्श पी. 19 एवं अभियुक्त साबिर

उर्फ साबू द्वारा दी गई सूचना प्रदर्श पी. 20 के अनुसरण में उसके द्वारा जरिए प्रदर्श पी. 2 अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ जूना की निशानदेही से, प्रदर्श पी. 3 के अभियुक्त संजय उर्फ सेठी की निशानदेही से एवं प्रदर्श पी. 4 अभियुक्त साबिर उर्फ साबू की निशानदेही से एक–एक लाठी बरामद की गई थी। इन तीनों फर्द जब्तियों प्रदर्श पी. 2 लगायत प्रदर्श पी. 4 के अवलोकन से प्रकट होता है कि इन लाठियों पर वक्त बरामदगी कोई मानव रक्त लगा हुआ नहीं था और न ही इन लाठियों को वक्त जब्ती अनुसंधान अधिकारी द्वारा सीलबंद किया गया है। न ही उनको रासायनिक जाँच हेतु भेजा गया था। ऐसे में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इन बरामदशुदा लाठियों का ही प्रयोग घटना में किया गया हो। इसके अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण से किसी प्रकार के हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। अतः इस साक्ष्य से इन अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता प्रकट नहीं होती है। किन्तु पूर्वोक्त विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से सभी अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर घटनास्थल पर पहुँचना, हथियारबद्ध होकर आहत सुभाष के घर में घुसकर उसे घर से बाहर निकालकर लाना, उसे कुंदालय से साधारण व गंभीर उपहतियां कारित किया जाना, बीच–बचाव कराने आए मलकीत को कुंदालय से साधारण उपहतियां कारित किया जाना एवं उनके द्वारा मलकीत की कार तोड़ा जाना साबित है। अतः प्रकरण में तीन अभियुक्तगण की सूचना पर बरामदशुदा लाठियों के खून आलूदा न होने या अन्य अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं होने से अभियुक्तगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

22. जहाँ तक कि अभियुक्तगण द्वारा **धारा–308, भारतीय दंड संहिता** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किए जाने का प्रश्न है तो इस धारा के अधीन दोषसिद्धि हेतु अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक होता है कि अभियुक्तगण ने ऐसा कार्य इस आशय या ज्ञान के साथ किया है कि यदि उस कार्य से मृत्यु हो जाती तो वह अपराध हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव की श्रेणी में आता। हस्तगत प्रकरण में पूर्वोक्त विवेचनानुसार प्रकट हुआ है कि आहतगण को कुंदालय से चोटें कारित की गई थी। अभियुक्तगण द्वारा धारदार हथियार या अग्नयायुध प्रयोग किए जाने के तथ्य से प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी अपनी जिरह में इंकार करता है। दोनों ही आहतगण के सिर पर कारित चोटें साधारण प्रकृति की थी। आहत सुभाष के दोनों हाथों एवं बाएं पैर में अवश्य अस्थिभंग कारित हुआ है, अर्थात् उसे कारित अस्थिभंग शरीर के मर्म अंगों (Vital parts) पर कारित नहीं हुए थे। दोनों ही आहतगण को कारित किसी भी चोट को चिकित्सक ने जीवन के लिए संकटकारक या स्वाभवतः मृत्यु कारित करने वाली नहीं बताया है। यदि अभियुक्तगण का आशय किसी आहत की मृत्यु कारित करने का या उनको ऐसी उपहतियां कारित करने का होता, जिससे मृत्यु कारित होना

संभाव्य हो, तो निश्चय ही जो चोटें आहत सुभाष के हाथों व पैर पर कारित की गई थी, वे अभियुक्तगण द्वारा उसके या दूसरे आहत के शरीर मर्म अंगों (Vital organs) पर भी कारित की जा सकती थी। ऐसे में अभियुक्तगण का मृत्यु कारित करने के आशय या ज्ञान का स्पष्ट प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत Hari Singh Vs Sukhbir Singh (1988) 4 SCC 551 में अवधारित किया है कि– **" For Sec. 308, IPC, intention or knowledge of culpable homicide must be proved. Simple injuries or even grievous hurt alone are not sufficient. Nature of weapon, seat of injury, severity and circumstances are relevant."** माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही अपने एवं अन्य सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत State of M.P. Vs Saleem (2005) 5SCC 554 में अवधारित किया है कि – **" Intention is gathered from weapon used, body part targeted and seriousness of injuries. Absence of dangerous injuries may weaken Sec. 308, IPC Charge."** अपने एक अन्य सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत Bishan Singh Vs. State (2007) 13 SCC 65 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किाय है कि – **"Where injuries were not sufficient to cause death and intention to kill not established, conviction under serious offence altered to hurt offence."** उक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में स्पष्ट है कि चूँकि आहतगण को सिर पर साधारण उपहतियां ही कारित हुई थी, आहत सुभाष के हाथों व पैर पर ही अस्थिभंग हुआ था, आहतगण को कारित कोई भी चोट जीवन को संकटापन्न करने वाली नहीं थी, घटना में अभियुक्तगण द्वारा लाठियों का प्रयोग किया जाना ही प्रकट हुआ है तथा पत्रावली पर ऐसी कोई चिकित्सकीय साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है, जिससे मृत्यु की संभाव्यता उत्पन्न होती हो। ऐसे में अभियुक्तगण द्वारा धारा 308, भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता है, किन्तु अभियुक्तगण द्वारा धारा 148, 452, 341, 323/149, 325/149, 427, भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित माना जा सकता है।

23. अतः उक्त सम्पूर्ण विवेचनानुसार अभियोजन अभियुक्तगण सुरेन्द्र कुमार उर्फ गोगा, सुरेन्द्र उर्फ जुना उर्फ नरेन्द्र कुमार, मोहनलाल, संजय उर्फ सेठी व शिवा द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 308/149, भारतीय दंड संहिता का अपराध कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहने से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। किन्तु अभियुक्तगण को

धारा 148, 452, 341, 323/149, 325/149, 427, भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

24. परिणामतः अभियुक्तगण **सुरेन्द्र कुमार उर्फ गोगा** पुत्र बनवारीलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 3 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर, **सुरेन्द्र उर्फ जूना उर्फ नरेन्द्र कुमार** पुत्र मोहनलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 18 रावतसर, जिला हनुमानगढ़, **मोहनलाल** पुत्र कालूराम, उम्र 51 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 18 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर, **संजय उर्फ सेठी** पुत्र मोहनलाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 18 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर व **शिवा** पुत्र दारासिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 2 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर को अपराध अन्तर्गत धारा 308/149, भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाता है, किन्तु उन्हें अपराध अन्तर्गत धारा 148, 452, 341, 323/149, 325/149, 427, भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(राजन खत्री)
अपर सेशन न्यायाधीश,
रावतसर जिला–हनुमानगढ़

सजा के बिन्दु :–

25. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्तगण के विरूद्व पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व दोषसिद्धि नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाए। अपर लोक अभियोजक द्वारा इसका विरोध किया गया।

26. उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया और निवेदन के संदर्भ में पूर्व दोषसिद्धि नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्व पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्तगण की आयु, शील एवं पूर्ववृत को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को

आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

27. परिणामतः अभियुक्तगण **सुरेन्द्र कुमार उर्फ गोगा** पुत्र बनवारीलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 3 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर, **सुरेन्द्र उर्फ जूना उर्फ नरेन्द्र कुमार** पुत्र मोहनलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 18 रावतसर, जिला हनुमानगढ़, **मोहनलाल** पुत्र कालूराम, उम्र 51 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 18 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर, **संजय उर्फ सेठी** पुत्र मोहनलाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 18 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर व **शिवा** पुत्र दारासिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 2 रावतसर, पुलिस थाना रावतसर को अपराध अंतर्गत धारा 148, 452, 341, 323/149, 325/149, 427, भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध किए जाने पर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त धारा 4 आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के तहत **10,000/– रूपए** की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका **एक वर्ष** की अवधि के लिए इस न्यायालय के संतोषप्रद इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे कि उक्त अवधि में परिशांति बनाए रखेगा व सदाचारी बना रहेगा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा व न्यायालय द्वारा आहुत किए जाने पर न्यायालय में उपस्थित होगा तो उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

28. **धारा 5** आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के तहत यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त 10,000/– रूपए (दस हजार रूपए मात्र), कुल 50,000/– रुपये(पचास हजार रुपये मात्र) बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा करावे। उक्त 50,000/– रुपये में से 30,000/– रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में आहत सुभाष की पत्नी को एवं 10,000/– रूपये आहत मलकीत को दिये जाए। शेष राशि बतौर अभियोजन व्यय जमा रहे।

29. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 12** के तहत उक्त दोषसिद्धि अभियुक्तगण को भविष्य में विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करेगी, ना ही किसी निर्हरता के रूप में लागू होगी।

30. प्रकरण में अभियुक्त साबिर उर्फ साबू मफरूर है। पत्रावली के सर्वरक पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जाए कि पत्रावली का कोई भार नष्ट नहीं किया जाए।

31. पत्रावली में इस स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजन खत्री)
अपर सेशन न्यायाधीश, रावतसर
जिला–हनुमानगढ़

32. यह निर्णय/दण्डादेश आज दिनांक 02–05–2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(राजन खत्री)
अपर सेशन न्यायाधीश, रावतसर
जिला–हनुमानगढ़

KISHAN KUMAR
AUTHENTICATED DOCUMENT
Digitally signed by KISHAN KUMAR
Date: 2026.05.04 08:26:03 +0530